



Neutral Citation No. - 2026:AHC:62818

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत दाण्डिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या -
2721/2026

वसीम एवं अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: अंजलि सिंह तोमर, इन्द्र पाल सिंह तोमर

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री आई पी. सिंह तोमर, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री चन्द्र शेखर सरन को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
3. वर्तमान प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 93/2026, धारा 109(1), 352, 3(5) बी.एन.एस., थाना क्वारसी, जिला अलीगढ़ में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाए।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह आगे तर्क दिया गया कि कथित घटना में आग्नेयास्त्र (फायर आर्म) से किसी को चोट नहीं आई है और आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और विवेचना एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि आवेदकों को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और विवेचना में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
5. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है।
6. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक सहित चार व्यक्तियों द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता पर हमला करना बताया गया है, हालांकि, किसी को कोई चोट नहीं आई है। आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है।
7. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धराम सतलिंगप्पा म्हात्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, अभियुक्त के पूर्ववृत्त, अभियुक्त के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध उपलब्ध संपूर्ण सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

8. वर्तमान मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी उपस्थित तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

9. अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

10. उपरोक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- वसीम और बाबू की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां संबंधित न्यायालय के संतोषानुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे;

(iii) आवेदक विचारण के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

11. किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द करने के लिए उचित प्रार्थना पत्र दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

वीरेन्द्र

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"